

परिवाद वाद संख्या- 14सी / 2024

04/06/2026

परिवादी मनोज पासवान अनुपस्थित है। बार-बार पुकार पर न तो परिवादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही उनके तरफ से कोई अधिवक्ता ही उपस्थित हुए।

अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत परिवाद दिनांक 12/02/24 को दायर किया गया है और तब से अभिलेख शपथ पर बयान हेतु लंबित चला आ रहा है। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि परिवादी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं तथा विगत कई तिथियों से उसके तरफ से कोई पैरवी नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि वाद में उनकी कोई अभिरुची नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत परिवाद में प्रस्तावित अभियुक्तों के विरुद्ध ऐसी कोई भी सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे उनके विरुद्ध परिवाद पत्र में वर्णित धाराओं के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत हो।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रस्तुत परिवाद वाद खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

(दिलीप कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम-सह-विशेष
न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0)
सुपौल